स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 220, दिनांक 11–09–2020

दि0 17–12–2016 को जनपद बस्ती के थाना दुबौलिया के हवालात से फरार वांछित व रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शत्रुघन चौहान एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

आज दिनांक 11–09–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद बस्ती के थाना दुबौलिया से दिनांक 17–12–2016 को हवालात से फरार वांछित व रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शत्रुघन चौहान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

शत्रुघन चौहान पुत्र हरीश चन्द्र चौहान नि0 बंजरिया सोबी, थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

बरामदगीः–

01–एक अदद हथकड़ी
02–रू0 470/– नगद

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–

दिनांकः 11–09–2020, सरकारी शराब की दुकान, थाना दुबौलिया जनपद बस्ती। समयः 12:30

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में श्री राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में उपनिरीक्षक श्री सत्येन्द्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में आ0 कुलदीप, आरक्षी दिलीप कुमार, मु0आ0 चालक प्रमोद कुमार सिंह एस0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ की एक टीम धरातलीय अभिसूचना संकलन हेतु जनपद बस्ती में मौजूद थी कि आज दिनांक 11–09–2020 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया जनपद बस्ती में पंजीकृत मु0अ0सं0 1060/2016 धारा 376/342/506 भादवि, 3/4 पास्को एक्ट एवं 3(1)2/3(2)5 एससी/एसटी में वाँछित अभियुक्त शत्रुघन चौहान को दिनांक 17–12–2016 को गिरफ्तार कर थाने के हवालात में बन्द किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त ने थाने से मय हथकड़ी फरार हो गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली की वह आज किसी साथी से मिलने के लिये थाना दुबौलिया क्षेत्रान्तर्गत सरकारी शराब की दुकान पर आया है और खड़ा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर अपराधी शत्रुघन चौहान को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने गाँव की एक लड़की का दिनांक 14–12–2016 को प्रातः बालात्कार किया था, जिसपर उसके विरूद्ध थाना दुबौलिया जनपद बस्ती में मु0अ0सं0 1060/2016 धारा 376/342/506 भादवि, 3/4 पास्को एक्ट एवं 3(1)2/3(2)5 एससी/एसटी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी अभियोग में दिनांक 17–12–2016 को थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था किन्तु वह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसपर मु0अ0सं0 1062/2016 धारा 224 भादवि थाना दुबौलिया पर पंजीकृत हुआ

था। उक्त घटना के बाद अभियुक्त के विरूद्ध वर्ष 2017 में मु0अ0सं0 174/2017 धारा 174ए भादवि का अभियोग थाना दुबौलिया में पंजीकृत किया गया था। फरार होने पर उसके विरूद्ध रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया। पुरस्कार घोषित होने के बाद वह महाराष्ट्र भाग गया था तथा वहाँ नासिक में नाम बदलकर ठेकेदारी का कार्य कर रहा था। आज किसी काम से बस्ती आया था कि एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना दुबौलिया जनपद बस्ती में उपरोक्त अभियोगों में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना दुबौलिया जनपद बस्ती द्वारा की जा रही है।